



Admission 2025-26

बी०ए० मेरिट कटआफ

मेरिट कटआफ के अन्तर्गत प्रायोरिटी डेट आफ एडमिशन

क्रमांक	दिनांक	सामान्य	ओ०बी०सी०	एस०सी०/एस०टी
1	19-21 मई 2025	65% या इससे अधिक	60% या इससे अधिक	55% या इससे अधिक
2	22-24 मई 2025	60% या इससे अधिक	55% या इससे अधिक	50% या इससे अधिक
3	26-27 मई 2025	55% या इससे अधिक	50% या इससे अधिक	45% या इससे अधिक
4	28-29 मई 2025	50% या इससे अधिक	45% या इससे अधिक	40% या इससे अधिक
5	30-31 मई 2025	45% या इससे अधिक	40% या इससे अधिक	35% या इससे अधिक
6	02-06 जून 2025	45% या इससे अधिक	40% या इससे अधिक	35% या इससे अधिक
7	09-30 जून 2025	सीट रिक्त होने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेंगी		

प्रायोरिटी डेट आफ एडमिशन के दिन छात्र/छात्रा को अपने द्वारा चयनित विषयों के मिलने की सम्भावना अधिकतम होगी जबकि बाद की तिथियों में कम होगी, साथ ही साथ विषय चुनाव व प्रवेश, शुल्क भुगतान के बाद ही सुनिश्चित होगा।

प्रायोरिटी डेट आफ एडमिशन के अनुसार ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे। मेरिट कटआफ की समय सीमा के किसी भी दिन और किसी श्रेणी में प्रवेश पूर्ण होने की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उस श्रेणी में प्रवेश रोक दिया जायेगा तथा आगे प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।



स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश Instruction for Process of Admission in UG First Year

1. मेरिट कटआफ के अन्तर्गत आये हुए छात्र/छात्रा दी गयी तिथि एवं समय पर प्रवेश हेतु महाविद्यालय आयेंगे।	1. The students belonging to merit cutoff have to come to college for admission at given date and time.
2. प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा अपने सभी मूल दस्तावेज (वि०वि० पंजीकरण से सम्बन्धित लेटर, ए.बी.सी.आई.डी., हाईस्कूल अंकपत्र और प्रमाणपत्र, इण्टरमीडिएट अंकपत्र और प्रमाणपत्र, टी०सी०, सी०सी०, जाति प्रमाणपत्र एवं ईडब्लूएस / डिफेन्स डिपेन्डेंट / स्वतंत्रता सेनानी / खेल से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, 2-रंगीन फोटो इत्यादि) अनिवार्य रूप से लेकर आयेंगे। साथ ही छात्र/छात्रा अपने आवेदन फार्म का प्रिंटआउट एवं सभी मूलदस्तावेजों की एक छायाप्रति/फोटोकापी अनिवार्य रूप से लेकर आयेंगे। इसके साथ ही छात्र/छात्रा एण्टी-रैगिंग फार्म डाउनलोड कर व भरकर ले आयेंगे। वर्ष अन्तराल के सन्दर्भ में, अभ्यर्थी को उसके अनुरोध के सापेक्ष उपयुक्त साक्ष्यों के साथ शपथ पत्र जमा करना होगा।	2. The students must bring all the original documents (letter related University registration, ABC ID, High school mark sheet and certificate, Intermediate mark sheet and certificate, transfer certificate, character certificate, and certificate related to caste / EWS / Defense dependent / Freedom Fighter / sport, 2-colored photo etc.). Also, students must bring a copy of application form along with set of photocopy of all original documents. Along with this, students must bring filled anti-ragging after downloading it. In case of year gap, the candidate has to submit the affidavit along with documentary support against his/her claims.
3. दस्तावेजों / डाक्युमेंट्स का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा छात्र/छात्रा की उपस्थिति में किया जायेगा। छात्रों/छात्राओं का प्रवेश, उनके द्वारा आवेदन फार्म में संलग्न दस्तावेजों के मूल अभिलेखों से भौतिक सत्यापन, के अधीन होगा।	3. Physical verification of documents will be done by the committee in presence of students. The admission of students will be subject to physical verification of documents listed/attached in his/her application with their originals.
4. भौतिक सत्यापन के पश्चात छात्र/छात्रा को विषय चुनाव और शुल्क के भुगतान हेतु एस०एम०एस० अथवा ईमेल प्राप्त होगा।	4. After the verification of documents, the students will get SMS or email for the subject selection and payment of the fee.



5. इसके पश्चात् विद्यार्थी महाविद्यालय के प्रवेश वेबसाइट पर अपने लागिन माध्यम द्वारा मुख्य, गौड. और कौशल विकास पाठ्यक्रम के विषयों चुनाव और शुल्क भुगतान करेंगे।	5. After this, Major, Minor and vocational subject selection and payment of fee will be done by the students through their own login at college admission website.
6. शुल्क भुगतान के पश्चात छात्र/छात्रा द्वारा चुने हुए मुख्य एवं गौड. विषयों की सीटें सुरक्षित/आबंटित हो जायेंगी। चूंकि प्रति विषय सीटों की संख्या निश्चित है अतः भौतिक सत्यापन के बाद छात्र/छात्रा द्वारा विषय चुनाव और शुल्क भुगतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।	6. The seats of selected Major & minor subjects by the students will be locked only after the payment of the fee. The subject selection and fee deposit by the students should be done as soon as possible, as seats per subject are limited.
7. शुल्क भुगतान के पश्चात अभ्यर्थी मुहर व हस्ताक्षर सहित भुगतान पावती का प्रिंट समिति संयोजक से प्राप्त करेंगे।	7. After the payment of fee, the candidate will receive the signed copy of fee receipt from the Convener of the committee.
8. महाविद्यालय द्वारा दिये गये समय पर, छात्र/छात्रा भुगतान पावती को कार्यालय में दिखाकर, परिचय पत्र एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।	8. The students will receive the ID card after showing the fee receipt in office on the date scheduled by the college.

विशेष

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही महाविद्यालय परिसर में आने हेतु अनुमन्य होंगे।
2. प्रवेश समिति के कक्ष में अभ्यर्थी, एक-एक करके उपस्थित होकर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करायेंगे।
3. आनलाइन शुल्क भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा/व्यवधान की स्थिति में अभ्यर्थी टेक्नीकल हेल्पलाइन नम्बर या प्रवेश प्रभारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
4. आवेदन के समय, नाम, पिता/माता नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल में हुयी त्रुटि को समिति संयोजक के अनुमोदन पर उप-प्रवेश प्रभारी द्वारा सही कराया जा सकता है।
5. प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी सहायता के लिए, अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश प्रभारी प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकते हैं।



प्रवेश हेतु मुख्य निर्देश

- किसी भी दशा में दिये गये दिन के मेरिट-कटआफ के नीचे प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
- सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही दावा किये गये आरक्षण श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा एवं अभ्यर्थी को आवेदित आरक्षण श्रेणी की सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने पर ही अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
- यूपीएचसी (उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन या विकलांग), यूपीएफएफ (यूपी के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्र) एवं यूपीएफ (उत्तरप्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों या उत्तरप्रदेश के सेवनिवृत्त / शहीद हुए / अक्षम हो गये रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्री) के आवेदकों को उत्तरप्रदेश क्षैतिज आरक्षण नियमावली के संगत उपलब्ध सीटों के सापेक्ष उपयुक्त प्रमाण पत्र पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
- **यूपीएचसी/यूपीएफ/यूपीएफएफ के आवेदकों पर कटआफ लागू नहीं होगा परन्तु इनके प्रवेश में आरक्षण का लाभ दिनांक 31 मई 2025 तक ही अन्तिम रूप से आवेदित आवेदनों पर ही अनुमन्य होगा।**
- **ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी) के आवेदकों को उत्तरप्रदेश उर्धाधर आरक्षण नियमावली के संगत उपलब्ध सीटों के सापेक्ष उपयुक्त प्रमाण पत्र पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा। इन आवेदकों पर भी कटआफ लागू नहीं होगा परन्तु इनके प्रवेश में आरक्षण का लाभ दिनांक 31 मई 2025 तक अन्तिम रूप से आवेदित आवेदनों पर ही अनुमन्य होगा।**
- **अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्ल्यू.एस. के प्रमाणपत्र दिनांक 01/07/2022 के बाद के निर्गत ही मान्य होंगे।**
- **जाति प्रमाणपत्र का आनलाइन सत्यापित होना अनिवार्य है। आनलाइन सत्यापित न होने की स्थिति में आरक्षण लाभ देय नहीं होगा।**
- **राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों के अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्रमाण पत्र होने पर मेरिट कटआफ में 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगा।**
- सभी आरक्षण एवं प्रवेश, राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होंगे।
- मेरिट कटआफ की समय सीमा समाप्त होने एवं सीट उपलब्धता के आधार पर अग्रिम मेरिट कटआफ जारी किया जायेगा। जिसकी सूचना महाविद्यालय के प्रवेश वेबसाइट पर दी जायेगी।
- मेरिट कटआफ की समय सीमा के किसी भी दिन और किसी श्रेणी में प्रवेश पूर्ण होने की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उस श्रेणी में प्रवेश रोक दिया जायेगा तथा आगे प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
- **प्रवेश के पश्चात्, प्रवेश निरस्तीकरण उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार ही अनुमन्य होगा।**